न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान राजवीर सिह बनाम गोविन्द सिंह

अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट क्रमांक 2018/00003 (1/2018)

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
07.03.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 26.05.2017 नियत की गई तथा राजस्व अभियानों के कारण दिनांक 26.05.2017 को पेशी में नहीं आई तथा दिनांक 31.05.2017 को न्याय आपके द्वारा कैम्प फतेहपुर में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 31.05.2017 की पेशी दे दी गई एवं पुनः 31.05.2017 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया। प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्ट का हक हिस्सा व कब्जा काश्त है परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 60 का नाम अंकन होने के कारण वे वादी के हक हिस्सा को रहन बेय करना चाहते हैं। उन्हें पाबन्द किया जाना आवश्य है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 14.09.2016 पेज 580, आरआरडी 14.02.2010 पेज 96, आरआरटी 2016 (2) पेज 1084 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 60 के सम्मन अखबार में साया करवाये गये उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया लिहाजा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेण्ट सं0 61 व 62 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निस्तारित करने का कथन किया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:01:59 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 आटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें चक 16 एफटीपी खाता 176 / 155 खाता शिवदान सिंह वगैरा में वर्णित आराजी को रहन बैय नहीं करने एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा था। उपखण्ड अधिकारी संगरिया ने दिनांक 30.05.2014 को स्थगन आदेश पारित किया एवं रेस्पोडेंट की तलबी हेतु पत्रावली पेशी में चलती रही। अपीलाण्ट का कथन है कि दिनांक 31.12.2017 को आगामी पेशी 20.07.2017 दी गई थी लेकिन उसी दिन पत्रावली पुनः पेशी में लेकर तलबी हेतु नोटिस तलवाना के अभाव में खारिज कर दी गई जो की विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट को इस आदेश का पता नहीं था। अपीलाण्ट के उक्त तथ्यों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से होती है जिसमें दिनांक 31.05.2017 की आदेशिका में आगामी पेशी 20.07.2017 दी गई है एवं उसी दिन पुनः पेशी में लेकर मूल प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए तलबी के अभाव में खारिज किया गया एवं पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारिज कर दी गई है। एक बार तारीख पेशी देने के उपरान्त पत्रावली पुनः पेशी में लेने के संबंध में अपीलाण्ट को किसी प्रकार की सूचना दी गई हो ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है। अपीलाण्ट को पत्रावली पुनः पेशी में लेने से पूर्व अपीलाण्ट को सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय यह आदेश विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर संगरिया का अपीलाधीन आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:01:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दिनांक 31.05.2017 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.05.2014 ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 7.3.22 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

7/3/22

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:01:59 IST
Reason: SelfAttested